रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239609
CG-DL-E-13102022-239609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4653]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944
No. 4653]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2022

सं. 38/2015-2020

विषयः वर्ष 2022-23 हेतु केवल टूटे हुए चावल (एचएस कोड 1006 40 00) का निर्यात कोटा।

का.आ. 4863(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2018, अनुसूची-II

(निर्यात नीति) के अध्याय 10 के एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत केवल टूटे हुए चावल, जिसकी निर्यात नीति 'निषिद्ध' है, के निर्यात हेतु 3,97,267 मी. टन. (एलएमटी) कोटे को वर्ष 2022-23 हेतु 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु अधिसूचित करती है।

2. 3,97,267 मी.टन के निर्यात कोटे को आवेदकों जिनके एलसी अधिसूचना संख्या 31/2015-2020 दिनांक 8 सितंबर, 2022 से पूर्व खोले गए हैं और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश के आदान-प्रदान की तिथि/त्वरित तिथि भी 8 सितंबर, 2022 से पूर्व की हो, को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार का संवितरण किया जाएगा।

3. अधिसूचना का प्रभावः

वर्ष 2022-23 में निर्यात किए जाने वाले एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत केवल 3,97,267 मी.टन. टूटे हुए चावल का कोटा जो केवल अधिसूचना संख्या 31/2015-2020 दिनांक 8 सितंबर, 2022 से पूर्व खोले गए साख पत्रों पर लागू है और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश के आदान-प्रदान की तिथि/त्वरित तिथि भी 8 सितंबर, 2022 से पूर्व की हो, को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम-20/ई-फाइल/पार्ट-I/ई-19680]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the: 12 October, 2022

No. 38/2015-2020

Subject: - **Export quota of only broken rice (HS code 1006 40 00) for the year 2022-23.**

S.O. 4863 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby notifies quota of 3,97,267 MT for export of only broken rice under HS Code 1006 40 00 of Chapter 10 of ITC (HS), 2018, Schedule – II (Export Policy), for the period up to 31st March, 2023, for the year 2022-23, the export policy of which is 'Prohibited'.

2. The export quota of 3,97,267 MT will be distributed amongst the applicants whose LCs are opened before the Notification No.31/2015-2020 dated 8th September, 2022 and the message exchange date between the Indian and foreign bank / swift date has been prior to 8th September, 2022, as per procedure to be notified separately by Directorate General of Foreign Trade.

3. **Effect of the Notification**:

Quota of 3,97,267 MT of only broken rice under HS Code 1006 40 00, applicable only to LCs opened before the Notification No.31/2015-2020 dated 8th September, 2022 and the message exchange date between the Indian and foreign bank / swift date also prior to 8th September, 2022, to be exported during year 2022-23, is notified.

[F.No. 01/91/171/35/AM20/E-File/Part-1/e- 19680]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.13 15:23:23 +05'30'